कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

भारी मात्रा में अवैध डोडा पोस्त बरामद व दो व्यक्ति गिरफतार

जयपुर 11 सितम्बर। पाली जिला की पुलिस द्वारा आज सोमवार को मुखबिर की सुचना पर सोमसर पुलिस चौकी के पास नाकाबन्दी कर संयुक्त कार्यवाही करते हुए 46 किलो 300 ग्राम अवैध डोडा पोस्त बरामद कर दो व्यक्तियों को गिरफतार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक पाली श्री दीपक भार्गव ने आज जानकारी देते हुए बताया कि जिले में चलाये जा रहे अवैध मादक पदार्थों विरूद्ध अभियान के तहत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बाली श्री अत्ताउर्रहमान व वृताधिकारी बाली श्री अमरसिंह चम्पावत के निर्देशन व सुपरविजन में श्री दीपसिंह भाटी थानाधिकारी पुलिस थाना रानी व नाडोल चौकी प्रभारी श्री कमलसिंह सउनिपु0 व मुआ0 श्री मदनसिंह, श्री दौलतसिंह व चौकी प्रभारी सोमसर श्री राजेश कुमार मु0आ0 व कानि0 श्री देवीसिंह श्री पूनाराम चौधरी, श्री सत्यप्रकाश श्री सुगनचंद मय सरकारी जीप व चालक श्री सहदेवराम की टीम ने मुखबिर की सूचना अनुसार सोमसर पुलिस चौकी के आगे नाकाबंदी कर एक कार फिएट (पेट्रा) रजिस्ट्रैशन नम्बर आर जे 09 यू ए 2515 को रूकवाया तो कार में चालक सीट के पास वाली सीट पर बैठा एक व्यक्ति कार की फाटक खोलकर भागा जिसका पीछा कर रेल्वे लाईन सोमेसर पर भागते समय गिरने पर दस्तीयाब किया गया। कार की डिक्की में दो बोरा व एक सफेद कट्टे में अवैध डोडा पोस्त वजन कुल 46 किलो 300 ग्राम जब्त किया गया व मुलजिम केशरीमल पुत्र श्री चर्तभुज जाति नायक उम्र 30 साल पेशा मजदूरी निवासी सरवनिया बोर पुलिस थाना निमच सीटी जिला नीमच मध्यप्रदेश व परसराम पुत्र श्री लुम्बाराम जाति विश्नोई उम्र 32 साल निवासी फिंच पुलिस थाना लुणी जिला जोधपुर कमिश्नरेट को गिरफ्तार कर माल कंहा से लाया व ले जाने के बारें में पुछताछ जारी है।

राही/संतरा/651/2017

नोटः—उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

अवैध आर्म्स लाईसेंस बनाने व बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश

अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ में हुए और भी खुलासे, सरगना का बडा व चचेरा भाई भी इस धन्धे में लिप्त

जयपुर 11 सितम्बर। अतिरिक्त महानिदेशक अपराध श्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि महानिदेशक पुलिस, श्री अजीत सिंह के निर्देशानुसार प्रदेश में अपराध उन्मूलन हेतु चलाये जा रहे विशेष एवं सघन अभियान के तहत अन्तर्राज्यीय अवैध एवं फर्जी आर्म्स लाईसेंस बनाने वालों एवं अन्य राज्यों से होने वाले अवैध हथियारों खरीद–फरोख्त के विरूद्ध एक बड़ी सफलता हासिल की है। उन्होंने बताया कि राज्य की अपराध शाखा ने प्रदेश के करौली जिले के श्रीमहावीर जी में एक बड़ी कार्यवाही कर दो अवैध हथियार तस्करों को 15 पिस्टल एवं 20 जिंदा कारतूस के गिरफ्तार किया है।

अतिरिक्त महानिदेशक अपराध श्री पंकज कुमार सिंह एवं ए.टी.एस. राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, श्री उमेश मिश्रा आज पुलिस मुख्यालय में पत्रकार वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने बताया कि श्रीमहावीरजी रेल्वे स्टेशन के पास स्थित अण्डर ब्रिज से मध्यप्रदेश के धार जिले के निवासी संजय पुत्र सरदया (19) आदिवासी भील एवं महेश पुत्र दुर्गा (25) आदिवासी भील को गिरफ्तार कर उनसे 15 पिस्टल एवं 20 जिन्दा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है।

उन्होंने बताया कि वे गंगापुर निवासी लखन मीणा और फिरोज को हथियार बेचने के लिये आये थे। इन दोनों को वे पूर्व में भी अनेक बार हथियार सप्लाई कर चुके हैं। दोनों आरोपियों के पास से बरामद अवैध हस्त निर्मित सभी पिस्टलों पर मैड इन स्पेन एवं यूएसए मुद्रित है, इनमें से कुछ पिस्टलों पर साईलेन्सर भी लगे हुए हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक अपराध ने बताया कि आरोपियों का मुख्य सरगना बल्लू सरदार हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बल्लू सरदार के भाई श्योदान सिंह को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि उसका चचेरा भाई ईश्वर सिंह भी इसी व्यवसाय में लिप्त है। दिल्ली पुलिस ने 14 अगस्त को उसे दिल्ली में मय 20 पिस्टलों के गिरफ्तार किया है। ईश्वर सिंह को सन् 2009 में जयपुर पुलिस ने भी 5 पिस्टल के साथ गिरफ्तार किया था।

श्री सिंह ने बताया कि इन लोगों से और भी हथियार जब्त होने एवं वारदातें खुलने की संभावना है। उन्होंने बताया कि सिकलीगर जाति के लोग भारत के समस्त राज्यों में बड़ी तादाद में अवैध हथियार सप्लाई करने का कार्य करते है।

ए.टी.एस. राजस्थान के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस, श्री उमेश मिश्रा ने बताया कि एटीएस राजस्थान की विभिन्न 12 टीमों ने राजस्थान, पंजाब, जम्मू, मध्यप्रदेश में अलग–अलग जगहों पर दबिश देकर भारी मात्रा में हथियार लाईसेंस व अवैध हथियारों को जप्त किया है। उन्होंने बताया कि एटीएस को 04 माह पूर्व इस बात की पुख्ता सूचना मिली थी कि एक संगठित गिरोह अवैध रूप से हथियार बेचने तथा खरीदने व आर्म्स लाईसेंस बनाने का कारोबार करता है तथा गिरोह से जुडे लोग वर्ष 2007–08 के लाईसेंस वर्तमान में बनाकर देते हैं और पुलिस सत्यापन भी नहीं करवाते व सम्बन्धित थाने में हथियारों का इन्द्राज नहीं करवाते है तथा जम्मू से बाहर के निवासी होने के उपरान्त भी जम्मू के पते पर लाईसेंस बनवाते हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक एटीएस ने बताया कि इस सन्दर्भ में श्री बीजू जॉर्ज जोसफ, महानिरीक्षक पुलिस, एटीएस व श्री विकास कुमार, पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में श्री बजरंग सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एटीएस के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम में सर्वश्री श्याम सिंह, मनीष शर्मा, राजेश दुरेजा, कामरान खान, प्रदीप सिंह, पुलिस निरीक्षक को शामिल किया गया।

श्री मिश्रा ने बताया कि पुलिस निरीक्षक एटीएस यूनिट उदयपुर श्री श्याम सिंह रत्नू को इस बाबत् सूचना संकलन करने हेतु निर्देशित किया गया तथा एक टीम का गठन करके गिरोह से जुडे हुये संदिग्धों के

सत्यापन हेतु एक टीम अबोहर पंजाब, जम्मू भेजी गई। जिसके माध्यम से गिरोह से जुडे लोगों के बारे में आसूचना संकलन किया गया। आसूचना संकलन के दौरान ही उदयपुर निवासी एक व्यक्ति ने एटीएस मुख्यालय में अजमेर निवासी जुबेर नामक व्यक्ति के खिलाफ सूचना दी की जुबेर ने आर्म्स लाईसेंस बनाने के नाम पर व हथियार उपलब्ध करवाकर उससे 12 लाख रुपये ले लिये, जबकि हथियार व आर्म्स लाईसेंस प्रथम दृष्टया संदिग्ध नजर आते हैं। इसके अलावा मध्यप्रदेश के देवास से भी हथियार जुबेर नामक व्यक्ति द्वारा खरीद फरोख्त के बारे में जानकारी मिली। जिसका सत्यापन एटीएस टीम द्वारा करवाया गया। सम्पूर्ण सूचना संकलन के आधार पर अवैध लाईसेंस के कारोबारियों को रंगेहाथों पकडने हेतु श्री बजरंग सिंह शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एटीएस को मय टीम के सिरोही भेजा गया।

उक्त टीम ने जुबेर नामक व्यक्ति को बोगस ग्राहक से 02 लाख रुपये का चैक व 30 हजार रूपये नकद व 06 आर्म्स हथियारों के साथ पूछताछ हेतु पुलिस अभिरक्षा में लिया गया। मुख्य अभियुक्त ने अभिरक्षा के दौरान पूछताछ में बताया कि उसके अजमेर स्थित घर पर काफी संख्या में अवैध आर्म्स लाईसेंस व अवैध हथियार पडे हुए है। जुबेर से मिली जानकारी के आधार पर राजस्थान व बाहर के राज्यों में दबिश देते हुए सैकडों की संख्या में अवैध आर्म्स लाईसेंस, अवैध हथियार व कारतूस बरामद किये गये। पूछताछ के बाद प्रकरण दर्ज कर आरोपी जुबेर को गिरफ्तार किया गया। अन्य संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की जा रही है व शीघ्र ही अन्य व्यक्तियों के खिलाफ अवैध लाईसेंस व अवैध हथियार की बरामदगी कर नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। जुबेर के सहयोगी विशाल व राहुल से पूछताछ की जा रही है शीघ्र ही इनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जायेगी तथा इस प्रकरण से जुडे अन्य आरोपियों के खिलाफ भी बाद पूछताछ कार्यवाही की जायेगी।

राही/मनीष/अमन/संतरा/652/2017

नोटः–उक्तप्रेसनोटwww.police.rajasthan.gov.inपरभीउपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्तमहानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेसनोट

अवैध आर्म्स लाईसेंस बनाने व बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश
डकैती की योजना बनाते मय हथियार के 05 अभियुक्त गिरफ्तार

जयपुर 11 सितम्बर। झालावाड के पुलिस थाना सुनेल ने 10 सितम्बर की रात्रि को गश्त के दौरान अवैध आर्म्स लाईसेंस बनाने व बेचने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए डकैती की योजना बनाते 5 अभियुक्तों को मय हथियार के गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है।

पुलिस अधीक्षक झालावाड श्री आनन्द शर्मा ने आज जानकारी देते हुए बताया कि थानाधिकारी थाना सुनेल श्री महेश सिंह उ0नि0 द्वारा मय थाना जाप्ता के 10 सितम्बर,2017 की रात्री को गश्त व चैकिंग के दौरान अभियुक्त मोहनलाल पुत्र रामनारायण उम्र 40 साल, गौरीलाल उर्फ प्रेमचन्द उम्र 35 साल, सुजान पुत्र रामनारायण उम्र 19 साल, भगवानसिह पुत्र राजबहादुर उम्र 22 साल तथा गोविन्दसिह पुत्र गोनिया उम्र 22 साल जाति कंजरान निवासी किशनपुरिया थाना सदर झालावाड को जोनपुरा खाल पिडावा रोड के पास पुलिया के निचे डकैती की योजना बनाते हुये मय हथियार पिस्टल सरिया लकडी किल का पटटा छुर्रा जप्त कर मुलजिमों के विरूद्व प्रकरण आर्म्स एक्ट में दर्ज कर गिरफ्तार किया गया।

राही/संतरा/653/2017

नोटः—उक्त प्रेस नोट www.police.rajasthan.gov.inपर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्तमहानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेसनोट

पशु क्रूरता के मामले का आरोपी गिरफ्तार

27भैंसों को मुक्त करा कर टाटा को किया जप्त

जयपुर 11 सितम्बर। भरतपुर के थाना सेवर की पुलिस द्वारा गस्त व नाकाबंदी के दौरान एनएच–21 वमनपुरा मोड के पास एक टाटा 1109 नम्बर आरजे 25 जीए 1380 को रूकवा कर चैक किया तो उक्त टाटा गाडी में 27 भैंस निर्दयतापूर्वक ठसाठस भरी हुई मिली। जिस पर टाटा गाडी के चालक सलीम पुत्र राशीद जाति मुसलमान निवासी राजबाग थाना कोतवाली सवाईमाधोपुर को गिरफतार कर सभी भैंसों को मुक्त कराया जाकर तथा टाटा गाडी को जप्त कर थाने पर मुकदमा पंजीबद्व किया गया है।

राही/संतरा/654/2017

नोटः–उक्त प्रेस नोट **www.police.rajasthan.gov.in**पर भी उपलब्ध है।

कार्यालय अतिरिक्तमहानिदेशक पुलिस(अपराध शाखा),राजस्थान,जयपुर
(जन सम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेसनोट

गृहमंत्री पुलिसमुख्यालय मेंबुधवारकोलेंगे पुलिसविभागकीमासिकसमीक्षाबैठक

जयपुर 11सितम्बर।गृहमंत्री श्री गुलाबचन्द कटारिया की अध्यक्षता में बुधवार 13 सितम्बरकोप्रातः 10.30 बजे पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में पुलिस विभाग की मासिक समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी। बैठक में महानिदेशक पुलिस,राजस्थान श्री अजीत सिंह सहित प्रदेश के आला पुलिस अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे।

अतिरिक्तमहानिदेशकअपराध श्रीपंकजकुमार सिंह आज यह जानकारीदेतेहुएबतायाकिसमीक्षाबैठकमेंमाहअगस्त,2107 तकगत 3 वर्षो की तुलनामेंप्रदेशमेंअपराध की जिलेवारस्थिति,जिसमेंजघन्य अपराध, संपत्तिसंबंधीअपराध एवंचालानस्थिति व अपराध वृद्धि एवंकमीवाले 5–5 जिलोंपरचर्चा की जायेगी।

श्री सिंह ने बतायाकिबैठकमेंइंसदीदाकार्यवाही, स्थानीय एवंविशेषअधिनियम के अन्तर्गतकार्यवाही की जिलेवारसमीक्षा, पेंडेंसी, बजट घोषणाओं व मुख्यमंत्री घोषणाओं की क्रियान्विति, परिवादनिस्तारण, नवनियुक्त व इनसर्विसपुलिसकार्मिक व अधिकारियों के प्रशिक्षण की स्थिति, जब्तसामान व वाहनों की अद्यतन की स्थितिजिसमेंपुरानेवाहनों के निस्तारण की समीक्षा की जायेगी।

अतिरिक्तमहानिदेशकअपराध ने बतायाकिइसकेसाथहीगुमशुदा एवंलापतालोगोंसंबंधीपरिवादोंकीजांचस्थिति, कांन्सटेबलसे उप. निरीक्षक पद तकपदोन्नतिनियमोंमेंसंशोधन की अद्यतनस्थिति, जेलबंदियोंकोपेशीपरउपस्थितकरानेकीजिलेवारस्थिति, यातायातव्यवस्था एवंदुर्घटनाओंपरनियंत्रण हेतुनिरोधात्मककार्यवाही, पुलिसहाउसिंगकारपोरेशन एवंस्थानान्तरणनीतिपरविस्तृतचर्चाकरसमीक्षा की जायेगी।

–––

राही/मनीष/अमन/संतरा/655/2017

नोटः–उक्तप्रेसनोट**www.police.rajasthan.gov.in**परभीउपलब्ध है।

सूचनाः–मिडीयासेनिवेदनहैकिकार्यक्रम की व्यूजुअलहेतुप्रातः 10.30 बजे तथा मंत्रीजी की बाईट हेतु........ बजे पधारने का श्रम करें।

1.